

# फर्द अहकाम

(विधम 28)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

राधेश्याम पुत्र हीरालाल निवासी पंडेर वगैरह  
बनाम

रामप्रसाद पुत्र हीरालाल तेली निवासी पंडेर वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 25 /2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	संभव न तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुई
02-04-24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ   प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया   प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम पंडेर प.ह. पंडेर आराजी सं. 5514, 5515 कुल कित्ता 02 रकबा 1.5944 हेक्टेयर भूमि स्थित है   अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी हैं   अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगद्दी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान किये जावें   प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है  </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी   पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगद्दी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है   प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगद्दी किया जाना उचित समझता है   ग्राम पंडेर प.ह. पंडेर आराजी सं. 5514, 5515 कुल कित्ता 02 रकबा 1.5944 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगद्दी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पंडेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है   कमीशनर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे   पत्थरगद्दी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें   पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें   तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगद्दी के आदेश दिये जाते हैं   पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें  </p> <p>आदेश आज दिनांक 02/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया  </p>	

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर (शाहपुरा)

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/25/2024

दिनांक- 02/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय— प.सं. 25 / 2024 अनवान राधेश्याम पुत्र हीरालाल निवासी पंडेर, रामप्रसाद पुत्र हीरालाल तेली निवासी पंडेर, रामेश्वर पुत्र हीरा तेली निवासी पंडेर बनाम कमलेश पुत्री भुवाना निवासी पंडेर, रतनी पुत्री भुवाना भाट निवासी पंडेर, लाड पुत्री भुवाना भाट निवासी पंडेर, दिव्यांशु पुत्र भंवरलाल पुरोहित निवासी पंडेर, सावित्री पत्नी भंवरलाल पुरोहित निवासी पंडेर, भेरू पिता लादू गुर्जर निवासी पंडेर, मदन पिता नाथू भाट निवासी पंडेर, बालमुकुंद पिता नाथू भाट निवासी पंडेर, सीताराम पिता गोपाल जाट निवासी पंडेर, नाथू पिता श्रीकिशन जाट निवासी पंडेर की पत्थरगद्दी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम पंडेर प.ह. पंडेर आराजी सं. 5514, 5515 कुल किता 02 रकबा 1.5944 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगद्दी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक पंडेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगद्दी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगद्दी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर जिला शाहपुरा